न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 18/2022

अनवान :–

1. रामनिवास पुत्र जयसिह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम्

1. दीपाराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर हनुमानगढ
2. महावीर प्रसाद पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर हनुमानगढ
3. रामजीलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर हनुमानग
4. सुलतान पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर हनुमानग
5. सावताराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर हनुमानग
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर।

गेरसायलान

7. अंकुर पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. पूनम पुत्री राजुराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. पारी पत्नी श्योपत जाति भाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. रामप्रताप पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. लादुराम पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
12. श्योपत पुत्र पुराराम जाति भाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
13. हनुमान प्रसाद पुत्र जयसिह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, सायल
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवता गै.सा न0 1 ता 5

निर्णय दिनांक : 10/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 131/118 के खसरा न0 186 की कुल 11.1826हैक भूमि सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 7 ता 13 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 181/159 की कुल 20.9737हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 5 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 131/118 के खसरा न0 186 की 11. 1826हैक भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुद्बा रास्ता नही है स्वीकृत रास्ता से सटा हुआ खेत है खसरा न0 186 में स्वीकृत रास्ता नही है।

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 7 ता 13 ग्राम भावलदेसर से चलकर रास्ता खसरा न0 191 से होते हुए गैरसायल संख्या 1 ता 5 की भूमि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 181/159 की कुल 20.9737हैक के खसरा न0 183 की 0.8729हैक भूमि के मिन पूर्व 2 गठठा चौडा रास्ता से होते हुए अपने खेत में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता सबसे सुविधाजकन व सबसे नजदीकी रास्ता [illegible] यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे स्वीकृत करवाकर [illegible] अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:32:21 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता में आने वाली भूमि के बदले [illegible] व गेरसायल संख्या [illegible] ता 13 अपने खेत रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 131/118 के खसरा न0 1[illegible] 11.1826हैक में से मिन दक्षिण की भूमि जो गैरसायल के चिपती भूमि है देने को तैयार है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 181/159 की कुल 20.9737हैक के खसरा न0 183 की 0.8729हैक भूमि के मिन पूर्व में 2 गठठा चौडा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

सायल व तरतीबी गैरसायलान संख्या 7 ता 13 को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है केवल हेरान परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायल व गैरसायल संख्या 7 ,10 ,11 ,13 ने रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 131/118 की 11.1826हक भूमि में से अपना हक हिस्सा श्योपत पुत्र भुराराम से खरीद किया गया है सायल ग्राम भावलदेसर से चलकर भादर पुत्र नत्थुराम के खेत से होकर अपने खते में प्रवेश करते है हमेशा से सायल इसी रास्ता से आवागमन करते आ रहे है यही रास्ता उपयुक्त है इसी रास्ता से ही हमेशा से सायल आवागमन करता आ रहा है प्रार्थना पत्र नाकाबिले चलने के होने के कारण खारिज योग्य है खारिज फरमावें।

गैरसायल संख्या 1 ता 5 का जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपने बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल गैरासायल संख्या 7 ता 13 एव गैरसायल संख्या 1 ता 5 दोनो ही खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एव एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 7 ता 13 ग्राम भावलदेसर से चलकर रास्ता खसरा न0 191 से होते हुए गैरसायल संख्या 1 ता 5 की भूमि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 181/159 की कुल 20.9737हैक के खसरा न0 183 की 0.8729हैक भूमि के मिन पूर्व 2 गठठा चौडा रास्ता से होते हुए अपने खेत में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता सबसे सुविधाजकन व सबसे नजदीकी रास्ता है किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व तरतीबी गैरसायलान संख्या 7 ता 13 को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है केवल हेरान परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायल व गैरसायल संख्या 7 ,10 ,11 ,13 ने रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 131/118 की 11.1826हक भूमि में से अपना हक हिस्सा श्योपत पुत्र भुराराम से खरीद किया गया है सायल ग्राम भावलदेसर से चलकर भादर पुत्र नत्थुराम के खेत से होकर अपने खते में प्रवेश करते है हमेशा से सायल इसी रास्ता से आवागमन करते आ रहे है यही रास्ता उपयुक्त है इसी रास्ता से ही हमेशा से सायल आवागमन करता आ रहा है प्रार्थना पत्र नाकाबिले चलने के होने के कारण खारिज योग्य है खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 131/118 के खसरा न0 186 की कुल 11.1826हैक भूमि सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 7 ता 13 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:32:21 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या ... की कुल 20.9737हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 5 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल का कथन है कि सायल व गैरसायलान संख्या 7 ता 13 को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल गैरसायल के खेत रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 181/159 की कुल 20.9737हैक के खसरा न0 183 की 0.

..2

उपखण्ड अधिकारी

8729हैक्ट भूमि के मिन पूर्व से होकर अपने खेत में प्रवेश करता हे जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है

गैरसायल संख्या 1 ता 5 का विरोध है कि सायल व गैरसायल संख्या 7 ता 13 अपनी भूमि में जाने के लिये भादर पुत्र नत्थुराम मे खेत से होकर आवागमन करते आ रहे है गैरसायल की भूमि में से आवागमन नही किया गया है ना ही रास्ता पाने के अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 1 ता 5 दोनो ही खातेदार काश्तकार है एव एक दुसरे के चिपते हुए काश्तकार है।

मौका रिपोर्ट अनुसार सायल खेत खाली होने पर अपने खेत खसरा न0 186 के पूर्वी दिशा के खसरों से प्रवेश करता है भूमि काश्त होने पर सायल को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने में समस्या /परेशानी होती है सायल की खातेदारी भूमि के पास ही स्वीकृत कटानी रास्ता खसरा न0 191 में चल रहा है कटानी रास्ता से खसरा न0 183 में से जाने से आसानी होती है क्योकि यह कटानी रास्ता खसरा न0 191 एव सायल की भूमि के कुछ ही दुरी पर है इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

नजरीय नक्शा के अनुसार रोही मौजा भावलेदसर के खसरा न0 191 में स्वीकृत कटानी रास्ता चल रहा है कटानी रास्ता खसरा न0 191 और सायल की खातेदारी भूमि खसरा न0 186 के मध्य गैरसायल संख्या 1 ता 5 का खसरा न0 183 पडता है सायल को खसरा न0 183 के एक कोने पर खसरा न0 191 से 186 तक जाने के लिये रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि कटानी रास्ता से सबसे नजदीकी रास्ता यही है

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट एव नजरीय नक्शा के अनुसार उचित प्रतीत होता है तथा किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना विधिसम्मत एव न्यायोचित है ताकि खातेदार के हकों को सुरक्षा हो सके।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता विधिसम्मत है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 181/159 की कुल 20.9737हैक्ट में से खसरा न0 183 की 0.8729हैक्ट भूमि के मिन पूर्व में 2 गठठा चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता के जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल व गेरसायल अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 186 के मिन दक्षिण में गैरसायल संख्या 1 ता 5 की भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/9/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:32:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2024 /
दिनांक

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 18 / 2022 निर्णय दिनांक 10/9/2024

अनवान :–

1. रामनिवास पुत्र जयसिह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम्

1 दीपाराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर हनुमानगढ
2. महावीर प्रसाद पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर हनुमानगढ
3. रामजीलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर हनुमानग
4. सुलतान पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर हनुमानग
5. सावताराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर हनुमानग
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर।

गेरसायलान

7. अंकुर पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. पूनम पुत्री राजुराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. पारी पत्नी श्योपत जाति भाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. रामप्रताप पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. लादुराम पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
12. श्योपत पुत्र पुराराम जाति भाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
13. हनुमान प्रसाद पुत्र जयसिह जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 181 / 159 की कुल 20.9737हैक में से खसरा न0 183 की 0. 8729हैक भूमि के मिन पूर्व में 2 गठठा चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता के जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल व गेरसायल अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा भावलदेसर के खसरा न0 186 के मिन दक्षिण में गैरसायल संख्या 1 ता 5 की भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:32:21 IST
Reason: SelfAttested